न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)प्रथम,हापुड़।
उपस्थितः-रवि कुमार, उ०प्र०न्यायिक सेवा (UP2570)

CNR NO-UPHP060008422022
मूलवाद सं० 230 सन 2022
कम्प्यूटर सं० 510 सन 2022

1- कालूराम पुत्र सुजान सिंह आयु करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम छपकौली, तहसील व जिला हापुड़।

..... वादी।

बनाम

1- पंकज उर्फ पिंकू पुत्र कालूराम आयु लगभग 30 वर्ष

2- श्रीमति प्रीति पत्नि पंकज उर्फ पिंकू आयु लगभग 28 वर्ष

निवासीगण:- ग्राम छपकौली, तहसील व जिला हापुड़।

.....प्रतिवादीगण।

::एक पक्षीय निर्णय::

1. प्रस्तुत मूलवाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक आज्ञप्ति द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण की चल व अचल संपत्ति (1) एक मकान स्थित ग्राम छपकौली तहसील व जिला हापुड़, (2) कृषि भूमि खाता सं० 23 खसरा सं० 176 रकबा 0.2950 है० स्थित ग्राम सादुल्लापुर तहसील व जिला हापुड़, से बेदखल करते हुये प्रतिवादीगण से वादी के भविष्य के लिए संबंध विच्छेद हेतु संस्थित किया गया है।

2. संक्षेप में वाद पत्र के अनुसार वादी का कथन इस प्रकार हैं कि वादी एक सीधा सादा एवं कानून का पालन करने वाला वृद्ध व बीमार व्यक्ति है। प्रतिवादी सं0 1 वादी का पुत्र व प्रतिवादी संख्या 2 वादी की पुत्रवधु है। वादी एक मकान स्थित ग्राम छपकौली तहसील व जिला हापुड़ एवं भूमि खाता सं० 23 खसरा सं० 176 रकबा 0.2950 है० लगानी 7/-रूपये 30 पैसे सालाना स्थित ग्राम सादुल्लापुर तहसील व जिला हापुड़ का तन्हा मालिक व काबिज है तथा उक्त कृषि भूमि की बाबत कागजात माल में वादी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज चला आता है। वादी के कुल 5 संताने हैं। प्रतिवादीगण शादी के 6 माह बाद ही संयुक्त परिवार अर्थात वादी से अलग होकर रहने लगे तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की किसी भी प्रकार की कोई सेवा टहल नहीं की और ना ही खाना खर्चा देते हैं। वादी का पुत्र प्रतिवादी सं0-1 गलत आचारण का व्यक्ति है जो गलत लोगो में उठता बैठता है तथा गलत आदतों व कृत्यों का आदी है। वादी का पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या-2 के साथ मिलकर वादी के साथ गाली गलौंच व अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं तथा आये दिन घर में लडाई झगडा करता है तथा सम्पत्ति में अपना हिस्सा मांगते हैं तथा घर जमीन बेचकर समस्त रुपया देने का वादी पर नाजायज रूप से दबाव बनाते है। वादी द्वारा मना करने पर वादी के साथ गाली गलौच एवं अशोभनीय व्यवहार करते हुए मारपीट करते है। यदि परिवार का कोई भी सदस्य बचाने व ऐसा

करने से मना करता है तो उसके साथ भी लडाई झगडा व गाली गलौच करते हैं। वादी एवं अन्य परिवार वालो, रिश्तेदारों ने प्रतिवादीगण को समझाने बुझाने का हर सम्भव प्रयास किया तथा गलत हरकतों को छोड़ने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकतों से बाज नही आये तथा प्रतिवादीगण का क्रूरतापूर्ण एवं अशोभनीय व्यवहार बादस्तूर जारी रहा। प्रतिवादी संख्या-1 गलत संगत में उठने बैठने तथा असामाजिक तत्वों के साथ रहने इत्यादि अवैधानिक कृत्य करता है तथा वादी व अन्य परिवार जनो एवं रिश्तेदारो तथा मौहल्ले के लोगों के साथ गाली गलौंच करते हुए मारपीट करता है। वादी व अन्य परिवार जनों द्वारा यदि प्रतिवादी को समझाते हुए गलत कार्यो, संगति को छोडने के लिए कहा जाता है तो प्रतिवादी सं0-1 उन्ही गलत कृत्यों को अवश्य करता है। प्रतिवादी सं0 1 अपने नाजायज व असामाजिक कृत्यों इत्यादि की पूर्ति के लिए वादी के घर में कई बार चोरी करने का अवैधानिक प्रयास कर चुका है। इसके अलावा प्रतिवादीगण रिश्तेदारी में जाकर भी झूठा बहाना बनाकर रुपये उधार ले आते है जिन्हे प्रतिवादीगण वापिस नही करते हैं जिन्हें तकादा करने पर वादी द्वारा घर-परिवार की इज्जत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए चुपचाप मजबूरी में वापिस किया जाता रहा है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी से घर बेचने के लिए कहते है तथा समस्त रुपये लेने की मांग करते हैं तथा इंकार करने पर प्रतिवादीगण वादी के साथ गन्दी गन्दी गालियां देते है तथा घर में सामान की तोडफोड करते है। प्रतिवादीगण के उक्त दुव्यर्वहार से वादी व वादी की पत्नि राजेन्द्री देवी का पूरा परिवार अत्याधिक मानसिक रूप से तंग य परेशान है तथा वादी के परिवार को प्रतिवादीगण के अशोभनीय व्यवहार एवं गलत चालन चलन से अत्याधिक मानसिक पीडा व आघात पहुंचा है तथा वादी के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बहुत ठेस पहुँची है। प्रतिवादीगण के व्यवहार एवं चाल-चलन में कोई बदलाव न होने पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साथ पूर्व की भाँति लगातार मारपीट करने, मकान में हिस्सा मांगने, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देने व लोगो से झूठ बोलकर रुपये उधार लेने के कारण वादी व वादी के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठ को ठेस पहुंचने एवं मानसिक आघात की वजह से तंग व परेशान होकर वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 10.10. 2022 को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर समस्त पारिवारिक सम्बन्ध हमेशा के लिए विच्छेद कर लिए। वादी ने एक-एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हापुड को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित कराते हुए अख़बार में भी सम्बन्ध विच्छेद व चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करने हेतु विज्ञापन भी प्रकाशन कराया। प्रतिवादीगण को जैसे ही उक्त सम्बन्ध में जानकारी हुई कि "वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हुए समस्त पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं तथा इसकी सूचना श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद हापुड को प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए समाचार पत्र में भी सम्बन्ध विच्छेद व चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन करा दिया है" तो प्रतिवादीगण ने इस बात से क्षुब्ध होकर वादीगण के साथ गाली गलौंच करते हुए मारपीट की तथा वादी के घर में रखे हुए सामान में तोडफोड करते हुए आग लगाने का असफल प्रयास किया, शौर शराबा होने पर मौहल्ले के काफी व्यक्ति मौके पर आ गये जिनके द्वारा प्रतिवादी को बामुश्किल रोका गया तथा समस्त वाक देखा गया इस पर प्रतिवादीगण ने वादी व वादी के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। दिंनाक 10.11.2022 को प्रतिवादी सं01 ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नि प्रतिवादी सं0-2 के साथ आया तथा वादी के साथ बुरी तरह मारपीट की व धमकी दी कि

यदि तुमने मुझे घर जमीन बेचकर मेरा हिस्सा नहीं दिया तो हम तुम्हे जिन्दा नही छोडेगें और जान से मार देगें या झूठे केसों में फंसवाकर जेल में सडवा देगें। जिसकी बावत प्रतिवादी सं0-2 आत्म हत्या का प्रयास भी कर चुकी है। वादी व अन्य परिवार जनों ने प्रतिवादीगण को हर सम्भव प्रयास समझाने का किया परन्तु प्रतिवादीगण अपने फैल बेजा से बाज आने को तैयार नहीं है। जिस कारण वादी एवं अन्य परिवार जन प्रतिवादीगण की फेल बेजा हरकतों से अत्यन्त भयभीत है। प्रतिवादी सं0-1 के इस कृत्य में उसकी पत्नि प्रतिवादी सं0-2 भी पूर्ण सहयोग देती है। प्रतिवादी सं0-1 स्वयं व अपने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर वादी व वादी के परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित कर सकता है। जिस कारण वादी को मजबूर होकर प्रतिवादी से हमेशा-हमेशा के लिए समस्त पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद हेतु वाद योजन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। वाद कारण उन भिन्न भिन्न दिनाको पर जब प्रतिवादी सं0-1 द्वारा गलत संगत में पड़ने तथा वादी व अन्य परिवार वालो के साथ गाली गलौंच करते हुए अशोभनीय व अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने, मारपीट करने तथा प्रतिवादी सं0-1 द्वारा वादी से रुपये मांगने एवं घर जमीन बेचकर अपना हिस्सा मांगने, रिश्तेदारों से झूठ बोलकर उधार रुपये लेने तथा उन्हें वापिस न करने पर वादी द्वारा वापिस लौटाने, तथा प्रतिवादी द्वारा वादी व वादी के परिवार वालो के साथ मारपीट करने, घर का सामान तोडने, आग लगाने का प्रयास करने तथा घर में चोरी करने करने का प्रयास करने तथा दिनांक 10.10.2022 को प्रतिवादी के कृत्यों तंग व परेशान होकर वादी द्वारा प्रतिवादी को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद करते हुए उच्चाधिकारियों को सूचित करने व अखबार में प्रकाशन कराये जाने पर व उसके बाद भी प्रतिवादी के व्यवहार में कोई बदलाव ना आने तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त नाजायज फेल बेजा कृत्यों को बादी द्वारा मना करने व समझाने बुझाने पर दिनाक 10.11.2022 को खुल्लम खुल्ला वादी व बादी के परिवार को जान से मारने की धमकी देने पर व स्पष्ट इंकार करने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है तथा माननीय न्यायालय को उक्त बाद को सुनने व निर्णित करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

3. प्रतिवादीगण पर समन तामील करायी गयी। प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रतिवादपत्र दाखिल करने हेतु अनेक अवसर देने के पश्चात भी उपस्थित नहीं आये जिस कारण दिनांक 03.08.2023 को प्रतिवादीगण का प्रतिवादपत्र दाखिल करने का अवसर समाप्त कर उपरोक्त वाद को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से संचालित किया गया।

4. वादी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं० 6 ग 1 से कागज सं0 7 ग एक किता जिलाधिकारी महोदय हापुड़ को प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व असल प्रकाशन अखबार तथा अन्य सूची कागज सं० 16 ग 2 से कागज सं० 17 ग प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी बाबत खाता सं० 23 खसरा सं० 176 रकबा 0-2950 है० स्थित ग्राम सादुल्लापुर तहसील व जिला हापुड दाखिल की गयी है।

5. वादी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में मौखिक साक्षीगण के रूप में पी०डब्ल्यू० 1 के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र तथा पी०डब्लू 2 के रूप में भूपेन्द्र का साक्ष्य शपथ पत्र पत्रावली पर दाखिल किया है तथा जिरह हेतु प्रस्तुत किया।

6. न्यायलय द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की तर्क पूर्ण बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

7. उल्लेखनीय है कि यहां पर धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का उल्लेख करना आवश्यक है। **प्रास्थिति या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार**- कोई व्यक्ति, जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध, जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याखान करने में हितबद्ध हो, वाद संस्थित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उस वाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे। परंतु कोई भी न्यायालय वहां ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां कि वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई-अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोप करे।"

यह कि उपरोक्त वाद में वादी स्वयं के स्टेटस की घोषणा किसी विधिक हैसियत के बारे में घोषणा नहीं कराना चाहता है बल्कि वादी इस बात की घोषणा कराना चाहता है कि प्रतिवादीगण द्वारा किये गये किसी भी कृत्य के लिए वादी जिम्मेदार नहीं होगा तथा प्रतिवादीगण का कोई भी संबंध शेष नहीं रहेगा तथा प्रतिवादीगण वादी की स्व-अर्जित संपत्ति मे हस्तक्षेप करने, विक्रय करने तथा वादी को बेदखल करने से दौरान बाद बाज रहे।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक संबंध है। दोनों के मध्य पिता व पुत्र का संबंध है। पारिवारिक संबंध प्राकृतिक होते है। पारिवारिक संबंधों के आधार पर ही उत्तराधिकार प्राप्त होते है। किसी भी विधि व्यवस्था में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि प्रतिवादीगण द्वारा लगातार वादी को तंग व परेशान करने या बुरा बर्ताव करने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण वो मध्य संबंध समाप्त कर दिये जाये मात्र प्रतिवादीगण द्वारा बुरा बर्ताव करने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्राकृतिक संबंध समाप्त नहीं हो सकते। विधि व्यवस्था **Preeti Satija vs Raj Kumari and anr. C.M. APPL 4236/ 2012** में यह प्रतिपादित किया गया है कि समाचार पत्र में उदघोषणा का विवादास्पद कानूनी प्रभाव नहीं है, जो कानूनी रूप से प्रासंगिक पारिवारिक संबंधों को तोड़ती है। उक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि समाचार पत्र में की गयी उद्धघोषणा से विधिक रूप से पारिवारिक संबंध नहीं टूटते हैं। यह मात्र एक चेतावनी के रूप में सामान्य जन को सूचित करने हेतु है। "

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि माता पिता पर अपने अवयस्क बच्चों के भरण पोषण का दायित्व होता है। बच्चों के वयस्क होने पर यह दायित्व भी समाप्त हो जाता है। भारतीय परिवेश में वयस्क बच्चे भी अपने माता पिता के साथ निवास करते हैं परंतु माता पिता अपने वयस्क बच्चों के द्वारा उनकी व्यक्तिगत हैसियत में किये गये कृत्यों के विधिक रूप से जिम्मेदार नहीं होते है तथा ना ही अपनी संपत्ति को अपने प्राकृतिक वारिसों के पक्ष में वसीयत करने के लिए ही बाध्य है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि 'A civil case is not based on the same standard of proof as required in a criminal case. It is based on preponderance of probabilities'.

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण के कृत्य वादी के अधिकारों तथा उसके द्वारा अर्जित संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जिनको कि वादी सुरक्षित रखने का अधिकारी है। वादी को अपनी स्व अर्जित संपत्ति को अपनी इच्छानुसार उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण से न्यायालय इस मत का है कि वादी का वाद आंशिक रूप से आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

::**आदेश::**

तदनुसार, वादी का एक पक्षीय वाद आंशिक रूप से आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को वादी के जीवनकाल में तथा वादी की स्व-अर्जित संपत्ति, जिसे वाद-पत्र के पैरा 1 मे दर्शाया हैं, में अविधिक हस्तक्षेप करने, किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने, विक्रय करने तथा वादी को बेदखल करने से रोका जाता है। वादी अपना वाद व्यय स्वयं दहन करेगा। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात दाखिल दफ्तर हो। वाद-पत्र मे वर्णित संपत्ति डिक्री का अंग रहेगा।

दिनांकः 26.10.2023

(रवि कुमार)
J.O. Code- U.P. 2570
सिविल जज (जू० डि०), प्रथम
हापुड़।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित, दिनांकित व उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 26.10.2023

(रवि कुमार)
J.O. Code- U.P. 2570
सिविल जज (जू० डि०), प्रथम
हापुड़।